

विविध बैंक प्रकरण संख्या 125/2019 (RCMS 2019/00220) भारतीय स्टेट बैंक जरिये विनीत बंसल प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक शाखा नई मंडी घड़साना, जिला श्रीगंगानगर (राज.) बनाम 1. मैसर्स हर्ष इंडस्ट्रीज – प्रो. श्री विजय कुमार गोयल पुत्र श्री राम कुमार गोयल निवासी जी-65 द्वितीय फेस, रिको, इंडस्ट्रीयल क्षेत्र घड़साना मंडी जिला श्रीगंगानगर

06.11.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित है। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी मैसर्स हर्ष इंडस्ट्रीज – प्रो. श्री विजय कुमार गोयल को ऋण सुविधा के रूप में 14.50 लाख रुपये (अखरे रुपये चौदह लाल पचास हजार मात्र) का ऋण दिनांक 21.03.2016 को स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी मै. हर्ष इंडस्ट्रीज-प्रो. श्री विजय कुमार गोयल की अचल सम्पत्ति व्यावसायिक प्लॉट नं. जी-65, फेस द्वितीय, घड़साना मंडी (क्षेत्रफल 1500 वर्गमीटर) में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तों के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नहीं किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 29.04.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 30.04.2019 को 14,06,070/-रुपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 02.05.2019 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया एवं दो समाचार पत्रों में धारा 13(2) के नोटिस का प्रकाशन करवाया गया जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को नोटिस की

जिला ~~मैसर्स~~
श्री गंगानगर

तामील हो चुकी है जिसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी मै. हर्ष इंडस्ट्रीज- प्रो. विजय कुमार गोयल द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति व्यावसायिक प्लॉट नं. जी-65, फेस द्वितीय, घडसाना मंडी (क्षेत्रफल 1500 वर्गमीटर) का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मै. हर्ष इंडस्ट्रीज - प्रो. श्री विजय कुमार गोयल को 14.50/-लाख रुपये (अखरे रुपये चौदह लाख पचास हजार मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 21.03.2016 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में श्री विजय कुमार गोयल द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति व्यावसायिक प्लॉट नं. जी-65, फेस द्वितीय, घडसाना मंडी (क्षेत्रफल 1500 वर्गमीटर) जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक 29.04.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 02.05.2019 जारी किया गया है एवं धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड डाक से जारी किये गए है एवं अप्रार्थी के नोटिस की चस्पांदगी करने के पश्चात दो समाचार पत्रों दैनिक तेज एवं इंडियन एक्सप्रेस में दिनांक 07.06.2019 को प्रकाशित करवाया है, जिनकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार उक्त धारा 13(2) का नोटिस तामील हो चुका है। इस प्रकार धारा 13(2) के नोटिस तामील के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी ने प्रार्थी बैंक की बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के उक्त नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी अचल सम्पत्ति व्यावसायिक प्लॉट नं. जी-65, फेस द्वितीय, घडसाना मंडी (क्षेत्रफल 1500 वर्गमीटर) जो मै. हर्ष इंडस्ट्रीज-प्रो. श्री विजय कुमार गोयल के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 02.05.2019 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 02.05.2019 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस पर अप्रार्थी मैसर्स हर्ष इंडस्ट्रीज-प्रो. श्री विजय कुमार गोयल के नाम रजिस्टर्ड डाक से जारी किये गये है तथा चस्पांदगी के पश्चात दो समाचार पत्रों दैनिक तेज एवं इंडियन एक्सप्रेस के दिनांक 07.06.219 के अंक में धारा 13(2) के नोटिस का प्रकाशन करवाया गया है जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है परिणामस्वरूप उक्त दोनों समाचार पत्रों की प्रतियां रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इसके बाबजूद भी अप्रार्थी ने बैंक की समस्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी मै. हर्ष इंडस्ट्रीज-प्रो. श्री विजय कुमार गोयल द्वारा बंधक रखी गई उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक—शाखा नई मंडी घड़साना जिला श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 19.09.2019 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई अचल सम्पत्ति व्यावसायिक प्लॉट नं. जी-65, फेस द्वितीय, घड़साना मंडी (क्षेत्रफल 1500 वर्गमीटर) जो कि ऋणी विजय कुमार गोयल के नाम से है और श्रीगंगानगर में स्थित है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 06.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवाजी एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर